सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 कार्तिक, 1937 (श०)

संख्या 766 राँची, रविवार

25 अक्टूबर, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

16 सितम्बर, 2015

विषयः- झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित झारखण्ड संयुक्त असैनिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में C-SAT प्रणाली को समाप्त करने, छठे संयुक्त असैनिक प्रवेश प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा के लिए उम्र गणना हेतु कट-ऑफ डेट का निर्धारण एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अवसरों की सीमा समाप्त करने के संबंध में ।

संख्या-11/लो०से०आ०-01-18/2015 का॰- 8315--झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जानेवाली झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-9477 दिनांक-25.09.2013 द्वारा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अंगीकृत C-SAT प्रणाली के आधार पर पुनरीक्षित पद्धति एवं पाठ्यक्रम लागू किया गया है।

2. उक्त पुनरीक्षित परीक्षा पद्धति एवं पाठ्यक्रम के आलोक में छठी सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन के साथ ही अभ्यर्थियों का विरोध विभिन्न माध्यमों से सामने आया है। साथ ही, झारखण्ड राज्य के गठन के पश्चात् 15 वर्षों

में अबतक मात्र 5 सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में उम्र गणना हेतु कट-ऑफ तिथि को घटाने का मामला एवं सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अवसर सीमा को हटाने का अनुरोध किया गया। प्रस्तुत मामले में छात्र संगठनों के द्वारा भी पूर्व में अभ्यावेदन सरकार के समक्ष समर्पित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार में न्यूनतम अर्हतांक की अनिवार्यता को हटाने की मांग की जाती रही है।

3. उपर्युक्त तथ्यों पर समेकित रूप से विचार करते हुए सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :-

(क) छठी सिविल सेवा प्रतियोगिता (प्रारम्भिक) परीक्षा से C-SAT के द्वितीय पत्र को आहरित (Withdraw) करते हुए परीक्षा पाठ्यक्रम से C-SAT का नाम विलोपित किया जाता है एवं प्रारम्भिक परीक्षा के विषय का नाम सामान्य अध्ययन रखा जाता है।

(ख) छठी सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के Upper Age Limit की गणना हेतु 01.08.2010 एवं Lower Age Limit की गणना हेतु 01.08.2015 को कट-ऑफ तिथि निर्धारित की जाती है।

(ग) बिहार एवं कई अन्य राज्यों के तर्ज पर सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुमान्य अवसर की सीमा को समाप्त किया जाता है।

(घ) सिविल सेवा प्रतियोगिता (मुख्य) परीक्षा में साक्षात्कार हेतु न्यूनतम अर्हतांक की अनिवार्यता को समाप्त किया जाता है।

4. इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्पों/अधिसूचनाओं/आदेशों को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
रतन कुमार,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 766—50 ।